कोई भी उप० नहीं हुआ। न तो वादी अधिवक्ता उप० न ही वादीगण उपस्थित हुए। पत्रावली इंतजार में रखी गयी। पुनः 5 बजे पत्रावली के आवाज पुकरवाई गयी। कोई उप० नहीं बार-बार आवाज लगवाने पर भी वादी अधिवक्ता एवं स्वयं वादीगण कोई उप० नहीं हुए।

अतः बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी उप० नहीं होने पर पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। हस्ता०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/9/22	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकार उप० नहीं है। मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। अब आवेदन पत्र के चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी के खारिज होने पर आवेदन पत्र 212 RTAct खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। / [signature]	

Scanned with OKEN Scanner